महत्वपूर्ण एवं खास

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की संविदा भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू 12 अगस्त को

रायगढ़। रायगढ़ जिला अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजनान्तर्गत संचालित 9 विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। जिसके लिए 12 अगस्त 2022 को शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़ में पूर्वान्ह 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार होगा।

अंग्रेजी माध्यम में संविदा सीधी भर्ती- स्वामी आत्मानंद शा.अंग्रेजी मा.वि.पुसौर में सहायक शिक्षक विषय-विज्ञान में एक पद अजजा के लिए, बरमकेला में शिक्षक विषय-अंग्रेजी के लिए 1 पद अनारक्षित एवं सहायक शिक्षक-कला एक पद अजजा के लिए तथा सारंगढ़ में शिक्षक विषय-अंग्रेजी के लिए एक पद अनारक्षित के लिए रिक्त है।

प्री-प्राईमरी टीचर हेतु संविदा भर्ती- शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर, बरमकेला, सारंगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, कोड़ातराई एवं कोतरा में प्री-प्राईमरी टीचर हेतु एक-एक पद अजजा के लिए के लिए रिक्त है। उक्त पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 8 वीं, 10 वीं एवं उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं एनटीटी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा एनटीटी नहीं मिलने पर डीएड/डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को विचार किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय रायगढ़ अथवा जिले के वेबसाइट www.raigarh.nic.in पर अवलोकन कर सकते है।

पेंशन प्रकरण तैयार करने हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों का प्रशिक्षण 17 अगस्त को

रायगढ़। छ.ग.राज्य के कर्मचारी/अधिकारियों के सेवानिवृत्त पश्चात उनके पेंशन प्रकरण तैयार किए जाने एवं निराकरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन 17 अगस्त 2022 को कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में किया जाएगा। समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को सूचित किया गया है कि उक्त प्रशिक्षण में संबंधित शाखा लिपिक अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पेंशन प्रकरण के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एडूकेटर के नवीन पद हेतु 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। रायगढ़ जिले के 9 विकासखण्ड में समावेशी शिक्षा अंतर्गत एक-एक पद स्पेशल एडूकेटर के नवीन पद निश्चित मानदेय 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए है। रिक्त पदों पर पात्र एवं ईच्छुक आवेदकों से 20 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर डाउनलोड कर सकते है।

जिले में 576.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 8 अगस्त तक 576.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 5.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 641.8 मिली मीटर, पुसौर में 695.2, खरसिया में 556.2, सारंगढ़ में 787.7, बरमकेला में 577.1, घरघोड़ा में 482.5, तमनार में 652.8, लैलूंगा में 513.6, धरमजयगढ़ में 538.8, सरिया में 463.8 एवं छाल में 436.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

जादू-टोना के शक में माता-पिता की हत्या वाले सात आरोपी गिरफ्तार

- आरोपियों ने फुल प्लानिंग के साथ घटना को दी थी अंजाम
- घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन, मोबाइल, रस्सी, पत्थर, सिंका आदि जब्त

रायगढ़। दिनांक 01.08.2022 को सरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नदीगांव सूरजगढ़ महानदी पुल नीचे एक अधेड़ महिला एवं अधेड़ पुरूष का शव मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची सरिया पुलिस टीम द्वारा शव को मौके पर डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। घटना के संबंध में थाना सरिया में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 146/2022 धारा 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता पर एसपी अभिषेक मीणा द्वारा एडिशनल एसपी लखन पटले तथा एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल को अपने सुपरविजन में जांच के निर्देश देकर थाना प्रभारी सरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अज्ञात मृतकों एवं आरोपियों की पतासाजी के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी सरिया द्वारा मृतकों की शिनाख्त की के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक तथा अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में मृतकों के फोटोग्राफ्स शेयर कर जानकारी शेयर करने कहा गया। साथ ही सरिया पुलिस की टीम रायगढ़ तथा उड़ीसा के ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों में मृतकों के मृतकों के पंपलेट चस्पा कर जानकारी लिया गया। इसी बीच थाना प्रभारी सरिया को मृतकों के महेशपुर बागबाहर के सुकरू यादव (40 साल) मनमती यादव (35 साल) के होने की जानकारी मिली। थाना प्रभारी अपने टीम के साथ महेशपुर पहुंचकर गोपनीय तरीके से जानकारी लेने पर विधि से संघर्षरत बालक सहित कुल 8 लोगों के द्वारा मिलकर जादू टोना के संदेह पर दिनांक 30.07.2022 के रात्रि घटना को अंजाम देने की जानकारी मिली जिस पर एक-एक कर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर लैलूंगा, जशपुर के विभिन्न इलाकों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में शामिल एक आरोपी दशरथ यादव फरार हो गया पुलिस टीम द्वारा तांत्रिक को भी मामले का आरोपी बनाया गया है जिसका पतासाजी किया जा रहा है।

आरोपियों का खुलासा –

विधि से संघर्षरत बालक बताया कि ये दो भाई और एक बहन है, इसके माता पिता अलग रायगढ़ भगवानपुर में रहकर माली का काम करते थे। वे लोग जो भी कमाते दोनों भाइयों को कुछ नहीं देते यह लोग अपने गांव की खेती कर जीवन यापन कर रहे बड़े भैया खुलेश्वर यादव कुछ माह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था जिसे सतगुरु आश्रम ग्राम झीमकी चौकी कोतबा के तांत्रिक क्षेत्र मोहन यादव के पास ले जाकर झाड़-फूंक कर आए तो तांत्रिक छत्रमोहन यादव बोला कि तुम्हारे भैया को तुम्हारे माता-पिता मिलकर जादू टोना कर पागल कर दिए हैं तुम लोग उन्हें जान समेत मार दोगे तो तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा और तुम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाओगे तब यह अकेले इस काम को कर पाने में अक्षम होने के कारण अपने जीजा नरसिंह यादव और चचेरे भाई राजू राम यादव, भोले शंकर यादव, शंकर यादव, खगेश्वर यादव, ईश्वरी यादव और दशरथ यादव के साथ मिलकर सुकरू राम यादव और मनवती यादव की हत्या का प्लान बनाएं। प्लान के तहत यह लोग हत्या कर शव को महानदी में फेंकना तय किए थे और प्लान के तहत दिनांक 30.07.2022 को योजना बनाकर एक बोलेरो वाहन किराए में लेकर रायगढ़ आये। इसका जीजा नरसिंह यादव बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 14 MB 3288 को लेकर स्वयं चलाते हुए सभी को वाहन में बिठाकर दिनांक 30.07.2022 की रात भगवानपुर और घटना को अंजाम देने के लिए साथ में रस्सी, गमछा और प्लास्टिक का सिंका लेकर आए थे और माता-पिता के किराए मकान में पहुंचकर उन्हें बोले कि खुलेश्वर यादव का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है चलो उसे देख कर आना और उन्हें झूठ बोलकर बोलेरो वाहन में बिठाकर सूरजगढ़ महानदी पुल के उस पार सरिया भटली रोड तक ले गए गाड़ी को रोड किनारे एकांत तरफ ले गए तब उसके माता पिता कहने लगे कि यह कहां ले आए इसी बीच खगेश्वर यादव और शंकर यादव उसके माता पिता के हाथ पकड़ कर मुंह को दबा दिए और विधि से संघर्षरत बालक और दशरथ यादव गमछा को दो टुकड़ों में फाड़ कर दोनों महिला पुरुष के गले में लपेट का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिए और फिर लाश को छुपाने के उद्देश्य से सभी मिलकर रोड किनारे पड़ा दो नग सीमेंट का खम्मा का टुकड़ा और सीमेंट खंबा के वजन के टुकड़े को प्लास्टिक के सिंका से महिला और पुरुष के गले में बांधकर बोलेरो वाहन से परसरामपुर महानदी पुल के ऊपर ले जा कर लाश को छिपाने के उद्देश्य से पुल से नीचे महा नदी में फेंक दिए और बोलेरो से अपने अपने घर चले गए। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से 5 नग मोबाइल, बोलेरो वाहन तथा घटनास्थल से 2 नग पत्थर, 2 नग सिंका, 2 नग टावेल, 1 रस्सी की जप्ती किया गया है।

अदम शिनाख्त शव एवं अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी सरिया के उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर पंडा, खीरेंद्र कुमार जलतारे, अर्जुन पटेल, आरक्षक राजकुमार साव, मुकेश साहू, कन्हैया चौहान, पुरुषोत्तम राठौर, सुशील यादव और विपिन कुमार डेहरी का सराहनीय योगदान रहा है। मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा नगद इनाम राशि से पुरस्कृत किया है।

गिरफ्तार 7 आरोपी – 1- विधि से संघर्षरत बालक (17.9 माह), 2- नरसिंह यादव पिता जगबंधु यादव उम्र 28 वर्ष निवासी झरन थाना लैलूंगा (मृतक का दामाद), 3-राजूराम यादव पिता कमल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी महेशपुर थाना बागबाहर जिला जशपुर (मृतक का भतीजा), 4- भोले शंकर यादव पिता स्वर्गीय मोहन राम यादव उम्र 21 वर्ष निवासी खुंटापानी थाना बागबाहर , 5-शंकर यादव उर्फ कैलाश पिता स्वर्गीय बुद्धू यादव उम्र 35 वर्ष निवासी महेशपुर थाना बागबाहर , 6-खगेश्वर यादव पिता लेखन यादव उम्र 35 वर्ष निवासी खुंटापानी थाना बागबाहर, 7- ईश्वरी यादव पिता स्वर्गीय गणेसोरो यादव उम्र 45 वर्ष निवासी खुंटापानी थाना बागबाहर

फरार आरोपी - दशरथ यादव पिता ईश्वर यादव साकिन मठ पहाड़ थाना बागबाहर जिला जशपुर

तांत्रिक – छत्रमोहन यादव निवासी ग्राम झिमकी चौकी कोतबाजिला जशपुर (धारा 120 IPC के तहत आरोपी)

मृतक - (1) सुकरू राम यादव पिता स्वर्गीय पुनाराम यादव उम्र 40 वर्ष

(2) मनवती यादव पति सुकरू राम यादव उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी महेशपुर थाना बागबाहर जिला जशपुर हाल मुकाम भगवानुपर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़।

जब्त माल - एक बोलेरो वाहन , 5 नग मोबाइल, 2 गमछा, 1 रस्सी और 2 प्लास्टिक सिंका (रस्सी गुथा हुआ)

घर घुसकर महिला से छेड़खानी, रिपोर्ट के महज कुछ घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 08.08.2022 को थाना कोतवाली में महिला उसके मोहल्ले के गोलू यादव द्वारा घर घुसकर बेईज्जत करने की नियत से छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला बताई कि कल दिनांक 07.08.2022 के रात्रि 09:00 बजे खाना खाकर घर में अपनी मां के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी पति बाहर गया हुआ था। उसी समय गोलू यादव घर के दरवाजा को लात से मारकर घर अंदर घुस आया और बेज्जती करने के नियत से हाथ, बांह पावं को पकड़ लिया, मां बीच बचाव की तो धमकी देने लगा कि किसी को बताइगी या पुलिस में रिपोर्ट करने जायेगी तो अंजाम ठीक नहीं होगा। डर से महिला रात में घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराये।

आज सुबह पीड़िता परिजनों के साथ थाना सिटी कोतवाली आकर प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को घटना बताई, थाना प्रभारी के निर्देश पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर स्टाफ आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी हिरासत में लिया गया। आरोपी शरद यादव उर्फ गोलू यादव पिता करन यादव उम्र 24 साल पूछताछ में घटना स्वीकार किया है, जिसे धारा 354, 457, 190 IPC के तहत पंजीबद्ध अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छेड़खानी के अपराध के आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के साथ प्रधान आरक्षक सुमन चौहान, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

खरसिया के "तारा पैलेस होटल" में अवैध हुक्का बार का संचालन, होटल संचालक पर कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

- चौकी प्रभारी खरसिया ने की होटल में रेड, होटल के बेसमेंट हॉल में हुक्का बार चलाता मिला संचालक

रायगढ़। दिनांक 07.08.2022 के रात्रि पुलिस चौकी खरसिया प्रभारी उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम को मुखबिर से सूचना मिला कि तारा पैसे पैलेस होटल के बेसमेंट हॉल में होटल का मालिक दीपक अग्रवाल बिना अनुमति के हुक्का बार चला रहा है और ग्राहकों के लिए खाना और हुक्का, पानी की व्यवस्था किया जाता है। सूचना पर कार्यवाही के लिए तत्काल चौकी प्रभारी नंदकिशोर गौतम चौकी के सहायक उपनिरीक्षक पी.आर. मोहंती, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, त्रिभुवन सिदार और दो गवाहों को लेकर होटल तारा पैलेस में रेड किया गया। होटल का संचालन दीपक अग्रवाल पिता स्वर्गीय विजय कुमार अग्रवाल 36 साल निवासी छपरी गंज खरसिया के द्वारा होटल के बेसमेंट हॉल में युवकों को खाने के स्थान पर ही हुक्का पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर हुक्का पिलाते मिला जिसे चौकी प्रभारी गौतम हुक्का बार संचालन के संबंध में नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने कहा जिस पर होटल के संचालक हुक्का बार चलाने का कोई कागजात नहीं होना बताया। मौके पर पुलिस टीम द्वारा होटल संचालक के कब्जे से 5 नग हुक्का पिलाने का उपकरण, पोलो चारकोल 01 पैकेट, 02 फ्लेवर पैकेट, 02 पैकेट तंबाकू युक्त हुक्का मसाला जप्त किया गया। होटल संचालक दीपक अग्रवाल का कृत्य धारा 4/21 सिगरेट व तंबाकू का उत्पादन प्रतिषेध व व्यापार वाणिज्य उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय होने पर अंतर्गत धाराओं कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा खरसिया न्यायालय पेश किया गया है।

पुसौर में 20 लीटर और कोसीर में 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

- बालिका को भगा ले जाने वाला युवक पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र से लापता हुई किशोर बालिका को बलौदाबाजार जिले से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया है। बालिका के पिता द्वारा दिनांक 26.07.2022 को थाना कोतवाली में बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिसके अनुसार दिनांक 25.07.2022 के करीब सुबह 11.00 बजे स्कूल जा रही हूं कहकर घर से निकली है और घर वापस नहीं आई जिसे स्कूल जाकर और आसपास के रिश्तेदारों के घर जाकर पता किये पता नहीं चला। गुम बालिका के संबंध में अज्ञात आरोपी पर धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गुम बालिका जांच दौरान बालिका के सीमावर्ती जिले बलौदाबाजार जिले के एक गांव में होने की जानकारी हुई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर तत्काल प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू के हमराह स्टाफ द्वारा बलौदाबाजार जिले में संदेही युवक देवकुमार यादव (22 साल) के घर में दबिश दिया गया। पुलिस टीम को बालिका संदेही युवक देवकुमार के कब्जे में मिली। दोनों को साथ रायगढ़ लाया गया, बालिका से पूछताछ पश्चात उसके परिजनों के समक्ष बालिका की सहमति लेकर उसका मेडिकल कराया गया। बालिका अपने कथन में बताई कि देवकुमार यादव शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया और अपने घर में बिना सहमति शारीरिक संबंध बनाया। जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी देवकुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालिका की पतासाजी और संदेही की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, आरक्षक पुष्पेन्द्र जाटवर, उत्तम सारथी, महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की अहम भूमिका रही है।

पुसौर में 20 लीटर और कोसीर में 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 07.08.2022 को थाना प्रभारी कोसीर निरीक्षक आर.एन. साय के हमराह सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टंडन, आरक्षक भीमसेन सिदार, भागवत बरेठ, अनिरूध बैरागी, डिलेश्वर सिंह नेताम एवं जीत लहरे द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम कोसीर (बाजार पारा) में दिलेश्वर बनज के घर शराब रेड कार्रवाई किया गया। पुलिस टीम को रेड दौरान दिलेश्वर बनज के घर के परछी में महुआ मिला जिसे दिलेश्वर बिक्री करने रखना बताया। आरोपी के कब्जे से पांच-पांच लीटर क्षमता वाली जरिकेन और दो- दो लीटर क्षमता वाली स्प्राईट बाटल में महुआ शराब करीब 8 लीटर जुमला कीमती 975 रूपये का रखा हुआ मिला जिसकी मौके पर ही जप्ती कर आरोपी को थाना लाया गया। आरोपी दिलेश्वर बनज पिता धनाराम बनज उम्र 43 साल निवासी ग्राम कोसीर बाजारपारा पर थाना कोसीर में धारा 34 (2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 08.08.2022 को थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक सुंदर लाल बांधे के हमराह सहायक उप निरीक्षक हेम सागर पटेल एवं आरक्षक दिलीप सिदार द्वारा ग्राम छोटे हरदी निवासी पालेश्वर बाघ के घर पर शराब रेड कार्रवाई किया गया। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालेश्वर बाघ अपने घर सामने महुआ शराब बिक्री हेतु लेकर रखा है। रेड कार्रवाई दौरान पालेश्वर बाघ उसके घर पर उपस्थित मिला जिससे शराब बिक्री के संबंध में पूछताछ करने पर अपने घर के सामने रखे 10-10 लीटर के 02 जरिकेन में शराब होना बताया। आरोपी पालेश्वर बाघ पिता स्व. चंद्रभानु बाघ उम्र 45 साल साकिन छोटे हरदी थाना पुसौर जिला रायगढ़ के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रू. की जप्ती कर थाना पुसौर में आरोपी पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ में स्वाईन फ्लू से हुई बच्ची की मौत,अब तक राज्य में 28 मरीज संक्रमित

- एक्टिव मरीजो की संख्या 11

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही स्वाइन फ्लू ने भी चिंता बढ़ा दी है. स्वाइन फ्लू से छत्तीसगढ़ में पहली मौत हुई है. बीते रविवार की रात को छत्तीसगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई है।

बच्ची दूसरी बीमारी से भी ग्रसित थी. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 4 साल की बच्ची निमोनिया और सीवियर रेस्पिरिटी डिसऑर्डर की भी शिकार थी. कोरबा से इलाज के लिए बच्ची को रायपुर लाया गया था. पिछले कुछ दिनों से रायपुर में उसका इलाज चल रहा था. हाल ही में उसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले करीब एक महीने में स्वाइन फ्लू के 28 मरीज मिले हैं. इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 11 है. 1 की मौत हो चुकी है. राज्य के एपेडिमिक कंट्रोल डायरेक्टर डॉ सुभाष मिश्रा ने न्यूज़ 18 को बताया कि बच्ची कोरबा से आयी थी और निमोनिया और सीवियर रेस्पिरिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी. इसका इलाज राजधानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. इस दौरान चब बच्ची का एच1एन1 इन्फ्लुएंजा (स्वाइन फ्लू) का टेस्ट किया गया तब रिपोर्ट पॉजिटिव आयी. हांलाकि डॉ. मिश्रा का कहना है कि मौत की वजह केवल स्वाइन फ्लू नहीं हो सकती क्योंकि बच्ची निमोनिया और सीवियर एआरडीएफ से भी पीड़ित थी और इसके बाद जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, लेकिन बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और बच्ची की मौत हो गयी।

पारंपरिक दक्षता को व्यवसायिक पहचान देकर महिलाएं हुई आर्थिक रूप से सशक्त

रायगढ़। ग्रामीण महिलाएं घरेलू कार्य में दक्ष होती है, लिहाजा जंगल से प्राप्त घास का झाड़ू बनाने का कार्य पारंपरिक आजीविका गतिविधि के रूप में कर रही थी। लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से कार्य नहीं करने से उनकी सामग्री की उत्पादन और आय कम थी। आज महिलाओं ने जय मां लक्ष्मी समूह का निर्माण कर घास की हरियाली को ही अपना उद्यम बना कर स्वावलंबी हो रही है। समूह द्वारा कार्य को बड़े स्तर में करने से उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। जिससे वे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही परिवार के भरण-पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जनपद पंचायत बरमकेला अंतर्गत ग्राम झाल में स्थित ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र (रीपा) गौठान का निर्माण अगस्त 2020 में शुभारंभ हुआ। यह शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, झाल गोठान में समूहों द्वारा जंगलों से प्राप्त घास से झाड़ू का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा घास को हाथों से गूंथकर एक सुन्दर झाड़ू के रूप में लाने की यह पारंपरिक आजीविका है जो सालों से चली आ रही है। परन्तु उचित मार्केट की व्यवस्था न होने के कारण कम मात्रा में निर्माण किया जाता था। बिहान से जुडने के बाद सभी सदस्यों को प्रेरित कर मार्केट लिंकेज कर आजीविका को बढ़ाया गया है। कच्चा माल जंगल से ही प्राप्त होने का कारण इसकी लागत राशि शून्य होती है केवल परिश्रम का कार्य होता है। इसलिए इस आजीविका गतिविधि में समूह की रूचि अधिक है। अभी तक सी-मार्ट, अस्पताल, छात्रावास, नगर निगम, जनपद कार्यालय, स्थानीय कंपनियों को लगभग 13 हजार नग से अधिक झाड़ू विक्रय कर चुकी है। जिसका मूल्य तकरीबन 4 लाख हैं।

जय मां लक्ष्मी समूह के झाड़ू निर्माण कार्य को देखते हुए अन्य समूह के सदस्य भी समूह के साथ कार्य करने और काम सीखने की रूचि दिखाने लगी है। जिससे अन्य समूह के सदस्यों द्वारा आजीविका गतिविधियों की मांग की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा गौठान में अन्य आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन की कार्ययोजना बनायी जा रही है। गोधन न्याय योजना और गौठान के माध्यम से आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के लिए समूह ने शासन एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480